प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.07.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.05.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पुत्र राहुल पर मकान व प्लॉट बेचने का दवाब बनाना, न बेचने पर जान से मारने की धमकी देना व अभियुक्तगण के द्वारा एक राय होकर राहुल उपरोक्त के साथ लाठी डण्डो से मारपीट करना जिससे वादिया के पुत्र राहुल की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना/ साक्ष्यों के आधार पर उपरोक्त अभियोग से धारा 103(1) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गयी। तत्पश्चात दिनाँक 21.06.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जोनी व मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

तत्पश्चात दिनाँक 22.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अजय पुत्र वेदपाल निवासी फेस-1 थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी बहन की शादी करीब 07 वर्ष पूर्व राहुल के साथ हुई थी, मेरा बहनोई राहुल शराब का आदी था जो आए दिन मेरी बहन के साथ झगड़ा करता था। मेरी बहन मुझे और मेरे पापा को टेलीफोन करके झगड़े के बारे में बताती थी। पूर्व में भी मेरे पापा वेदपाल, राहुल को समझाने आये परंतु मेरे बहनोई ने कोई बात नहीं मानी। दिनांक 27/05/2026 को मैं अपने भाई मनीष व बुआ के लडके के साथ बहन के घर गया तो मेरे बहनोई राहुल और मेरी बहन का आपस में झगडा हो रहा था, मेरी बहन 7-8 माह की गर्भवती होने के कारण मैंने राहुल को हटाने का प्रयास किया जिससे वो गिर गया, हम राहुल को अपनी गाडी में रखकर इलाज हेतु निवोक अस्पताल ले गये वहां राहुल को डा0 के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र वेदपाल निवासी फेस-1 थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.07.2026 को थाना निवाडी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त खुद के पति द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ घर पर छेडछाड करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल सुसंगत धारा 76 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीडिता के बयानों व मेडिकल परीक्षण के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-76 बीएनएस व 9m/10 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया तथा धारा- 64(2)(च)/65(2) बीएनएस व 5(m)/5(n)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 23.07.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 18.07.2026 को मैं घर पर मौजूद था, मेरी पत्नी मजदूरी करने के लिए गाजियाबाद गयी थी उस समय घर में मेरी पुत्री व पुत्र मौजूद था तभी मैंने मौका पाकर अपनी पुत्री के साथ गलत काम कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना निवाडी पर 01 अभियोग के अतिरिक्त 01 अन्य अभियोग शराब तस्करी से सम्बन्धित, 01 अभियोग थाना मोदीनगर पर शराब तस्करी से सम्बन्धित, 01 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।